

आदिवासियों की पारंपारिक जीवन शैली एवं आधुनिकता का प्रभाव

मोतिहारी

पूर्वी चम्पारण। 845401

(बिहार)

सारांश

आदिवासी से सभ्य नागरिक बनने के प्रमाण सिन्धु घाटी सभ्यता से मिले हैं और यह भी सिद्ध हो चुका है कि सिन्धु घाटी सभ्यता यहाँ के मूल निवासियों और जनजातियों की एक विकसित शहरी सभ्यता थी। लेकिन भारत की जन-जातियों को आदिवासी कहा जाता है। किसी भी समाज का अतीत बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत में तमाम संस्कृतियों के मुकाबले आदिवासी संस्कृति की अपनी विशिष्ट पहचान है। आदिवासी संस्कृति के पृष्ठों में मनुष्य के उत्थान-पतन की कहानियाँ छिपी हुई है। आदिवासी समुदाय के जन्मजात गुण धर्मों में सरलता, सहजता, सामुदायिकता, अपरिग्रह, निष्कलता, बन्धुता, सच्चाई, सामुदायिकता, ईमानदारी, परिश्रमशीलता, समानता व प्रकृति से घनिष्ठता की भावना विद्यमान है। आदिवासी समाज में वास्तविक दुनिया के पल गुजारने पर उनकी भव्यता, दिव्यता व जीवन्तता का एहसास होता है। आदिवासियों का दृष्टिकोण दयोकगता वादी तथा विचार-धारा 'जीओ और जीने दो' की पक्षपाती है। कूट शब्द :- आदिवासी संस्कृति, गुणधर्म

ईमानदारी, परिश्रम शिलता, विचारधारा आदिवासियों का इतिहास-

मुख्य धारा से दूर जंगलों में निवास करने वाली आदिम जनजातियाँ आज भी सांस्कृतिक विलक्षणताओं के साथ जीवन यापन कर रही हैं। औद्योगीकरण ने नगरीय मनोवृत्तियों को बढ़ाकर व्यक्तिवाद तथा भौतिकवाद के प्रति आकर्षण पैदा करके आदिवासियों के समाज में जटिल समस्याओं को जन्म दिया ।

अधिकांश आदिवासी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवन यापन करते हैं। वे सामान्यतः क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं और उनकी संस्कृति अनेक दृष्टियों से स्वयं पूर्ण रहती है। इन संस्कृतियों में ऐतिहासिक जिज्ञासा का अभाव रहता है तथा ऊपर की थोड़ी ही पीढ़ियों का अर्थ इतिहास, क्रमशः किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में मिलता है। सीमित परिधि तथा लघु जनसंख्या के कारण इन संस्कृतियों के रूप में स्थिरता रहती है, किसी एक काल में होनेवाले सांस्कृतिक परिवर्तन अपने प्रभाव एवं व्यापकता में अपेक्षाकृत सीमित होते हैं। परंपरा केंद्रित आदिवासी संस्कृतियाँ इसी कारण अपने अनेक पक्षों में रूढ़िवादी सी दीख पड़ती हैं। उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, एशिया तथा अनेक द्वीपों और द्वीपसमूहों में आज भी आदिवासी संस्कृतियों के अनेक रूप देखे जा सकते हैं।

भारत में अनसूचित आदिवासी समूहों की संख्या 700 से अधिक है। भारत में 1871 से 1941 तक हुई जनगणना में आदिवासियों को अन्य

धर्मों से अलग धर्म में गिना गया।

जैसे :-

Other religion – 1871,

Forest Tribe - 1891,

Tribal religion – 1931, Tribe – 1941 इत्यादि नामों से वर्णित किया गया।

1951 की जनगणना के बाद से आदिवासियों की अलग से गिनना बन्द कर दिया गया है। भारत में आदिवासियों को दो वर्गों में अधिसूचित किया गया है— अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति हिन्दु विवाह अधिनियम, हिन्दु विवाह अधिनियम की धारा 2 के अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं है। आदिवासी लोग अपने त्योहारों का पालन करते हैं जिनका किसी भी धर्म के साथ कोई संघर्ष नहीं है आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार ही विवाह करते हैं अपनी जनजातीय प्रथा के अनुसार विवाह तथा उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में सभी विशेषाधिकार को बनाए रखने का उनके जीवन का अपना तरीका है। भारत का विभाजन चार प्रमुख क्षेत्रों में किया जा सकता है उत्तरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। भारतीय समाज व्यवस्था से मुख्य धारा से अलग थलग दुर्गम जंगलों बीहड़ वनां प्रकृति की खुशनुमा गोद में हजारों वर्षों से मस्तमौला जीवन जीने वाले आदिवासियों की अपनी अलग ही दुनिया है उनका रहन-सहन नृत्य, गीत संगीत, पर्व त्योहार, समाजिक व्यवस्था अर्थ तंत्र, संस्कृति एब कुछ प्रकृति के साथ अदभूत सामंजस्य से संचालित है आदिवासी संस्कृति के पृष्ठों में मनुष्य उत्थानपतन की कहानियाँ छपी हुई हैं। इतिहासविद डी० डी० को सम्बी के अनुसार – प्रागैतिहासिक युग में निषाद प्रजा बसती थी जो भारतीय संस्कृति की जन्मदात्री है

“ डी० डी०” को सम्बी निषाद को ही भील माने हैं।

भारतीय सभ्यता के विकास में भीलों का अन्नय योगदान रहा है इस संस्कृति ने प्रागैतिहासिक युग में भारतीय संस्कृति का चेतना दी है

आदिवासी भारत के मूल निवासी हैं इनका जीवन उपेक्षित रहा है, बल्कि इन्हें जंगली मनुष्य समझा जाता रहा है। जो आदिवासी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है वर्तमान समय में आदिवासी आंदोलन और इनकी जागृति में कठोर पांक्षियों ने सहयोग दिया जिससे इनकी समाजिक स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। संस्कृति शब्द की अनेक अर्थ छायाएँ हैं। संस्कृति शब्द परोक्ष रूप में संस्कार का संकेतित करता है। सामान्य समाज में शिष्ट मनुष्यों के साहित्यिक, समाजिक राजनितिक, आर्थिक नैतिक, आध्यात्मिक कलात्मक, विचारों व कार्यकलापों को संस्कृति में शामिल किया जाता है। संस्कृति वस्तुतः जीवन दर्शन है अतः मानव समाज में संस्कृति का विशेष वचस्व होता है दुर्गम वनों पर्वत के मध्य सदियों से पल्लवीत और पुष्पित वे संरक्षित आदिवासी संस्कृति उनके लोकाचार को भारतीय सन्दर्भ में देखा जाए तो उनमें मानवीय मूल्यों का अटूट भंडार है। उनके जन्मजात गुणधर्मों में सरलता, सहजता सच्चाई, ईमानदारी परिश्रमशीलता सामुहिकता, समानता व प्रकृति से धनिष्ठता की भावना विद्यमान है। भारत के आदिवासी संस्कृति के भीतर जाति समानता लिंग समानता सद्भाव, सहयोगिता

समूह भावना व प्रकृति से निकटस्थ सम्बन्ध है। समूह भावना आदिवासी समाज के जीवन का सार है। आदिवासी जीवन व्यक्ति केन्द्रित नहीं बल्कि समाज केन्द्रित रहा है।

रमणिका गुप्ता जी ने लिखा है कि वह अकेला नहीं समूह में साचता है समाजिक सांस्कृतिक क्रिया कलाओं में उनकी समान

भागीदारी रहती है आदिवासीयों का दृष्टिकोण उपयोगितावादी एवं सामुहिकता है समूह जीवन प्रत्येक आदिवासी समुदाय का सार है आजके युग का मानव समाज की संकल्पना को लके र संकृचित होता जा रहा है भारत में प्रत्येक आदिवासी समुदायों में समूह भावना की उदात्त परम्परा है डा० बुद्धदेव के मतानुसार

“आदिवासी समूह एक बड़े परिवार की भांति है जहाँ प्रत्येक सदस्य अपनी सक्षमता के अनुसार, योगदान देते हैं, यहाँ तक कि वहाँ पथभ्रष्ट को भी सहारा मिल जाता है, श्रम के फलों के सामूहिक उपयोग में ही उनके पारस्परिक लाने देन का पूरा समायोजन हो जाता है। सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया कलाओं में आदिवासी समुदायों की भागीदारी अनिवार्यतः रहती है।

समानता पर आधारित होना आदिवासी संस्कृति की विशिष्ट पहचान है। समानता के पक्षधर इस समाज में रंगभेद, वर्णभेद, लिंगभेद, धर्मभेद, सम्प्रदाय भेद, प्रदेश भेद, आदिभेद रहित मूल्यों से लैस उत्तम सामाजिक व्यवस्था न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भी नहीं है। आदिवासी समतामूलक समाज खुला और व्यापक है जिसमें सामाजिक समरसता का घोल है। विज्ञापनों से जाहिर होता है कि भारत में जातीय पहचान की परिष्कृत कर वर्गीकृत किया जाता है।

भारतीय संस्कृति का मूलोत्स आदिवासी संस्कृति है। सरलता, सहजता, समानता, अपरिग्रह, परिश्रमशीलता, बन्धता आदि तत्वों से सम्पन्न आदिवासी संस्कृति विशिष्टतम हैं। उनकी संस्कृति में भव्य व दिव्य जीवन सुरक्षित है। 5 जून 1972 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इन्द्रा गान्धी ने अपने बस्तर दौरे में संबोधित किया था – बस्तर के वनवासी बड़ी शानदार संस्कृति के धनी हैं और अपनी रंगारंग वेशभूषा एवं उत्कल नर्तन पर तो इंगलैंड की महारानी तक मोहित हैं आपको इस संस्कृति को बदस्तूर जीवित रखना है। आदिवासी स्त्री गैर आदिवासी स्त्री की अपेक्षा अधिक स्वावलम्बी, परिश्रमी व साहसी होती हैं। नागा, खादी आदिवासी समुदायों में आज भी मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा विद्यमान है। खारनी आदिवासी समुदायों में बच्चों गोत्र में माँ के गोत्र पर रखे जाते हैं और सम्पत्ति में पुत्री अधिकारी होती है। गैर आदिवासी कथित सभ्य समाजों में व्याप्त भ्रूण हत्या की घृणित प्रथा आदिवासी समाज में नहीं है। डॉ० पटले ने लिखा है कि “भील आदिवासी समाज में स्त्री के विधवा हो जाने के बाद अपने मूल पति के घर में ही दूसरा पति ला सकती है। पूर्व पति की सम्पत्ति की स्वयं स्वामिनी बन सकती है।

यह परम्परा मातृसत्तात्मक समाज की गवाही देती है।

मुख्य धारा से दूर जंगलों में निवास करने वाली आदिम जनजातियाँ आज भी सांस्कृतिक विलक्षणताओं के साथ जीवन-यापन कर रही हैं। आदिवासी प्राचीन देवताओं यथा इल्हादेव, नारायणदेव सूरजदेव, माता-भाई, खैरमाता, ठाकुर एवं घनश्यामदेव, बाघेश्वर आदि की आराधना करते हैं। आदिवासियों का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि व वनोपज है।

तेंदुपता, माहुल पता, जलाद, लकड़ी बिनना तथा बेचना, बांस की बनी चीजें पतल, दोना शहद इकट्ठा करना आदि प्रमुख कार्य है। आदिवासी समाज में सामूहिकता की भावना ही व्यक्तियों को समूह में बाँधे रखती है। यो तो आदिवासी समाज में सामुदायिक भावना अधिक पाई जाती है।

आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों में उनकी

भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं किया गया इसके लिए आदिवासियों को प्रशिक्षित करके रोजगार की वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। औद्योगिकरण ने नगरीय मनोवृत्तियों को बढ़ाकर व्यक्तिवादिता, लाभ की भावना, अनावश्यक प्रतियोगिता, औपचारिक संबंधों तथा भौतिकवाद के प्रति आकर्षण पैदा करके आदिवासी समाज में जटिल समस्याओं को जन्म दिया है। औद्योगिक संस्थाओं के जमीन अधिग्रहण करने से सबसे अधिक विस्थापन आदिवासियों को सहना पड़ता है। आज आदिवासियों को सहना पड़ता है। आज आदिवासियों का व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनैतिक व सामुदायिक रूप से विघटन हो रहा है। विकास के नाम पर स्थापित परियोजनाओं ने आदिवासी समाज को कमजोर और खोखला कर दिया है। आदिवासी समुदाय में हर व्यक्ति की अपनी अस्मिता होती है। आधुनिकीकरण और संस्कृतिकरण के चलते आदिवासी समुदाय अपनी अस्मिता को नष्ट होने से नहीं बचा पा रहे हैं।

हिन्दी साहित्य में स्वतंत्रता पूर्व तक आदिवासी जीवन उपेक्षित रहा है। रेणु ने "मैला आंचल" में संथाल आदिवासी जीवन की झलक दी है। 1960 में देश का उपेक्षित अंचल बस्तर के गोड आदिवासी जनजीवन को लेकर राजेन्द्र अवस्थी ने 'जंगल के फूल' उपन्यास द्वारा इनका वर्णन किया। राजेन्द्र अवस्थी ने 'जंगल के फूल' उपन्यास के अंतर्गत आदिम सभ्यता में जीवन यापन करते बस्तर के मुड़िया तथा घोटुल जीवन का महत्व, उनकी मान्यताएँ, रीति-रिवाज, नृत्य, विश्वास, अंधविश्वास, समाज एवं संस्कृति, अधिकारों के लिए संघर्ष, संघर्ष में स्त्री-पुरुष का सहयोग आदि का चित्र प्रस्तुत किया गया है। गोड समाज ने अपने युवा धन घोटुल इस गाँव की सम्पत्ति है। गाँव भर के लोग मेहनत कर इसे बनाते हैं—घोटुल कच्ची मिट्टी की फसू की एक छोटी सी झोंपड़ी है—घोटुल के सारे सदस्य अपनी लगन से इसे बनाते हैं। उनकी कला इन चित्रों में बोलती है। घोटुल के खुले मैदान के बीच आग जलती रहती है, यही उनका उजाला है, जो जंगली जानवरों से रक्षा करती है।

संताल आदिवासी भी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। उनके पर्व रंगारंग त्योहार, नृत्य काफी मनमोहक होते हैं। इनमें सामूहिकता की भावना विकसित होती है। भील संस्कृति भारतीय संस्कृति की नींव है। भील और मीणा आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान है उनकी सामूहिकता समूह भावना आदिवासी जीवन का सार है।

आदिवासी विकास संवेदनशील मुद्दा है। पं० जवाहर लाल नेहरू आदिवासी विकास को लके र चिन्ता—ग्रस्त रहते थे, उनके पंचशील सिद्धांतों में से एक में उन्होंने कहा था कि "आदिवासियों का विकास हो यह अत्यंत जरूरी है। किन्तु उनका जीवन और संस्कृति जो उन्हें दसूरो से अलग करते हैं, उसका आनंद खींचे बिना ही उनका विकास करना है। लेकिन आज वही सब हो रहा है जिसका नेहरू जी को डर था आदिवासियों के जंगल, जमीनों गावों, संसाधनों पर कब्जा कर उन्हें दर-दर भटकने के मजबूर करने के पीछे सरकारी व्यवस्था का नहीं मिल पाना है।

सरकार ने आदिवासियों के लिए विभिन्न योजनाएँ चलायी लेकिन इसका लाभ आदिवासियों को बहुत कम मिल पाता है और योजनाएँ कागजी ही रह जाती है।

आज का आदिवासी संस्कृति हिन्दू और ईसाई के दोहरे हमलों के संकट से गुजर रही है। आदिवासीयों के जंगल-जमीन भी छिन गये हैं, उनकी भाषा भी छीनी जा रही है। उनके गीत, संगीत, नृत्य रिति रिवाज पर्व उत्सव सीमित होते जा रहे हैं। भारतीय आदिवासियों की परंपरागत धर्म व्यवस्था आज संक्रमित अवस्था में है एक तरफ हिन्दूकरण तो दूसरी तरफ ईसाईकरण। आदिवासीयों के धर्म- परिवर्तन विवादास्पद और संवेदनशील मुद्दा भी है आदिवासी जीवन बदलाव के दौर से गुजर रहा है। बाहरी समाजों के संपर्क के चलते आदिवासीयों के व्यापक समाज में भी संकुचल की प्रकृति आ गयी है आदिवासी समाज में भी जाति का जहर फैलता जा रहा है। उपभोक्ता वादी संस्कृति, भ्रष्टाचार, पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण, जैविक मूल्यों का हास आधुनिकता-वाद सभी का प्रभाव पड़ रहा है।

भारत के आदिवासीयों का इतिहास आर्यों के आगमन से पूर्व है कई युगों तक इसका उप महाद्वीप के पहाड़ी भूभागों में उनका आधिपत्य था। औपनिवेशिक अवधि के दौरान आदिवासियों को जन जातियों का नाम दिया गया और स्वाधिनता के बाद भारत में उन्हें अनुसूचित जनजातियों के रूप में जाना जाता है। जनजातियों के सत्व की व्याख्या उद्धव के चरण के रूप में की गई जो समाज के एक रूप के विपरीत था। जब शिक्षा केन्द्रों की स्थापना हुई तो यह व्याख्यान चुनिंदा समुदायों के समाजिक सांस्कृतिक मूल आधारों पर केन्द्रित हो गया जिससे गैर-आदिवासी बच्चे आदिवासियों की संस्कृति से वंचित रह गये।

हजारों आदिवासी युवा जीविका को तलाश में नगरों में बस गए और उनमें कितने अपने जड़ों से कर गये उन पर आधुनिकता का प्रभाव पड़ने लगा, उनकी संतानें भी अपनी समृद्ध विरासत से दूर हो गए। कुछ आदिवासी समुदाय अपनी संतानों को उनकी परंपराओं से जोड़े रहते अपनी जीवन-शैली एवं कला, संस्कृति से रूबरू करवाया जिसमें मध्यप्रदेश के गोंड, भील तथा राजस्थान के भील समुदाय प्रमुख हैं।

आदिवासियों का अपना धर्म भी है। ये प्रकृति-पूजक हैं और वन, पर्वत, नदियों एवं सूर्य की अराधना करते हैं। आधुनिक काल में जबरन बाह्य संपर्क में आने के फलस्वरूप इन्होंने हिन्दु, ईसाई एवं इस्लाम धर्म को अपनाया है। अंग्रेजी राज के दौरान बड़ी संख्या में ये ईसाई बन गये तो आजादी के बाद इनके हिन्दूकरण का प्रयास तेजी से हुआ है। परंतु, आज ये स्वयं की धार्मिक पहचान के लिए संगठित हो रहे हैं और भारत सरकार से जनगणना में अपने लिए अलग से धार्मिक कोड की मांग कर रहे हैं।

भारत में 1871 से लेकर 1941 तक हुई जनगणनाओं में आदिवासियों को अन्य धर्मों से अलग धर्म में गिना गया है। जिसे एबोरिजिन्स, एबोरिजिनल, एनिमिस्ट, ट्राइब्स इत्यादि नामों से वर्णित किया गया है। 1951 के जनगणना के बाद से आदिवासियों को अलग से गिनना बन्द कर दिया गया है। भारत में आदिवासियों को वर्गों में अधिसूचित किया गया है – अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित आदिम जनजाति।

उनके भौतिक संस्कृति तथा जीवनयापन के साधन, समाजिक संगठन धर्म, बाह्य संस्कृति, प्रभाव आदि की दृष्टि से आदिवासी भारत के विभिन्न वर्गीकरण करने के अनेक वैज्ञानिक प्रयत्न किए गए हैं। शिक्षा का प्रचार-प्रसार इनके बीच

सही तरीके से नहीं हुआ, जिससे जंगल आधारित अर्थ-व्यवस्था और कृषि का मेल नहीं होने से इन्हे लाभ नहीं मिला, जिससे जीविका के लिए पलायन करने की नौबत आती रही है।

उपसंहार

सामान्यतः “आदिवासी” (ऐबोरिजिनल) शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिए किया जाता है। जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना सम्बन्ध रहा है। परंतु संसार के विभिन्न भूभागों में जहाँ अलग – अलग धाराओं में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हो उस विशिष्ट भाग के प्राचिनतम या प्राचीन निवासियों के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है उदाहरण “इंडियन” अमरीका के आदिवासी कहे जाते हैं और प्राचीन साहित्य में दस्यू, निषाद आदि के रूप में जिन विभिन्न प्रजातियों समूहों का उल्लेख किया गया है उनके वंशज सम- समाजिक भारत के समानयी शब्दों में ऐबोरिजिन, इंडिजिनस, देशज, मुल निसासी, जनजाति भिरिजन, बर्बर आदि प्रचालित हैं। इनमें से हर एक शब्द के पीछे समाजिक व राजनीतिक संदर्भ है। समाजिक व राजनीतिक संदर्भ है समसाययिक आर्थिक शक्तियों तथा समाजिक प्रभावों के कारण भारतीय समाज के इन विभिन्न अंगों की दूरी कम हो रही है।

संदर्भ— ग्रंथ

- i. पी० आर० नायडु आदिवासी विकास की समस्याएँ
- ii. आशा मेहता, स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी उपन्यासों में वैचारिकता भा० ग्रंथ निकेतन (1977)
- iii. श्यामचरण दुबे परंपरा, इतिहास बोध और संस्कृति (1991) पृ०— 123
- iv. रमणिका गुप्ता, आदिवासी लोक भाग-1 शिल्पायन, दिल्ली (1961)
- v. हरि राम मीण, द्यूणी तपे तीर, साहित्य उपक्रम, जयपूर 2007 पृ०— 270